न्यायालय— कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
परिपत्र

क्रमांक—15/स्टेनो/2020 होशंगाबाद दिनांक 04.12.2020

समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक ए/2872 जबलपुर दिनांक 03.12.2020 में दिये गये निर्देश के अनुसरण में दिनांक 07.12.2020 से 12.12.2020 तक के अवधि में एक दिन के अंतराल (Alternate day's) पर इस न्यायालय में धारा—125 से 128 दं.प्र.सं. तथा दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों का सीमित भौतिक सुनवाई (Limited Physical Hearing) किया जाना है, जिसके अनुसरण में सीमित भौतिक सुनवाई हेतु दिनांक 07.12.2020, 09.12.2020, एवं 11.12.2020 का तिथि नियत किया जाता है।

उक्त दिनांकों को उक्त प्रकृति के नियत समस्त प्रकरणों के पक्षकार अपने साक्षियों सहित उपस्थित रहें।

उक्त दिनांकों को उक्त प्रकृति के नियत प्रकरणों में भौतिक रूप से साक्ष्य लिये जाने एवं तर्क सुने जाने आदि का कार्यवाही किया जावेगा।

दिनांक 07.12.2020 से 12.12.2020 के मध्य भरण—पोषण एवं दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों में सीमित भौतिक सुनवाई के अतिरिक्त अन्य अत्यावश्यक मामलों में भी वीडियो कांफ्रेसिंग अथवा अन्य सुविधाजनक तरीकों से भी सुनवाई जारी रहेगी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देश के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि —

1. पक्षकारों, गवाहों एवं अधिवक्तागण की उपस्थिति न्यायालय के फाईल के आदेश पत्र में दर्ज की जावेगी, किंतु आगामी आदेश तक उनके हस्ताक्षर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नहीं लिया जावेगा।
2. शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का सेवन किये हुये व्यक्ति का न्यायालय कक्ष में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
3. ऐसा कोई भी पक्षकार, साक्षी एवं अधिवक्ता जिन्हें बुखार या सर्दी—जुकाम जैसे लक्षण हों, उन्हें न्यायालय कक्ष में उपस्थित होने का अनुमति नहीं रहेगा।
4. केवल ऐसे पक्षकार तथा अधिवक्ता ही न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे, जिनके मामलें सुनवाई हेतु नियत हों।
5. न्यायालय कक्ष में केवल उन्हीं पक्षकार एवं अधिवक्तागण, जिनके मामलें के सुनवाई हेतु पुकार लगाई हो, वे ही न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे अन्य पक्षकार एवं अधिवक्तागण न्यायालय कक्ष के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अपने प्रकरण में पुकार लगाए जाने तक इंतजार करेंगें।
6. अधिवक्तागण अपने स्वयं के केस का फाईल लेकर आवेंगे, तथा मामले की सुनवाई होने के तुरत बाद न्यायालय कक्ष से बाहर जावेंगें।

न्यायालीन प्रकिया से हितवद्ध सभी व्यक्तियों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु उपरोक्तानुसार व्यवस्था में सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है।

Sd/.

(देव नारायण शुक्ल)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद(म.प्र.)

प्रतिलिपिः—

1— अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ होशंगाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिवक्तागण को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से सूचित करें।

2— सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि परिपत्र की प्रति न्यायालय के वेबसाईड पर अपलोड करें।

5.12.20

(देव नारायण शुक्ल)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद(म.प्र.)